



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 चैत्र 1948 (श10)
(सं0 पटना 340) पटना, सोमवार, 13 अप्रील 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना
9 जनवरी 2026

सं० 01 स्था०-87/2025-064/वि०स०—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या-11/आ०नि०-1-03 (खंड) 18775 /सा०प० पटना, दिनांक-04.10.2025 के अनुसरण में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के अधीन बिहार विधान सभा सचिवालय के निम्नांकित सेवानिवृत्त उप सचिव को उनकी सेवानिवृत्त की तिथि से निदेशक (वेतन स्तर-13) के पद का वैचारिक वेतनमान अनुमान्य किया जाता है :-

क्र०स०	सेवानिवृत्त पदाधिकारी का नाम	सेवानिवृत्त की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	श्री अनिल कुमार जायसवाल	31.05.2023	दिनांक-23.02.2023 के पूर्वा० से उप सचिव के वेतनमान में निदेशक के पद का प्रभार
2.	श्री प्रमोद कुमार सिंह	31.01.2023	

- यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना को अधिसूचना संख्या-11/आ०नि०-01-03 (खंड) 18775 / सा०प० पटना, दिनांक-04.10.2025 में निहित शर्तों के अध्वधीन है ।
- उपयुक्त पदाधिकारियों को सेवानिवृत्त की तिथि को निदेशक (विहित वेतनमान वेतन स्तर-13) में उत्क्रमित किया जाता है ।
- चूँकि उक्त लाभ वैचारिक रूप से अनुमान्य किया जाएगा, इसलिए इस क्रम में सेवाकाल में किसी भी प्रकार का अनुमान्य बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा । परन्तु इस आधार पर मात्र पेंशन का पुनर्निर्धारण करते हुए अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पेंशन का भुगतान अनुमान्य होगा ।

5. इस अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के तहत वैचारिक वेतनमान अनुमान्य संबंधी आदेश में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उस हद तक आदेश में संशोधन कर दिया जाएगा तथा संबंधित को भुगतान की गयी राशि में से अंतर राशि उनके पेंशन से वसूली कर ली जायेगी ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

अमलेन्द्र प्रसाद महतो,

निदेशक ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 340-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>